# बिहार सरकार
## उद्योग विभाग

पत्रांकः—
पटना, दिनांक

संoसंo— 06(स0) वि0रा0वि0नि0/चक्रीय निधि 27/2019

प्रेषकः

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

**विषयः—बिहार राज्य वित्तीय निगम लि0 (BSFC), पटना को औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाईयों को आवश्यकता अनुसार ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 रू0 5.00 (पाँच करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः—स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम लि0 (BSFC), पटना को औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाईयों को आवश्यकता अनुसार ऋण/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 रू0 5.00 (पाँच करोड़) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 औद्योगिक एवं व्यापारिक ईकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकार/(BSFC), पटना द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में की जायेगी।

3 लघु एवं मध्यम उद्योगों तथा व्यापारिक ईकाईयों को उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता/ऋण की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

4 उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 5465 सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं मे निवेश, उप मुख्य शीर्ष 01—सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश, लघु शीर्ष 190—सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंको आदि में निवेश, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0108—बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लि0, विपत्र कोड 23—5465011900108, के विषय शीर्ष 54 01 निवेश के मद से तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 में यथेष्ट बजट उपबंध उपलब्ध है।

5 उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से एकमुश्त राशि की निकासी कर आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम लि0 (BSFC), पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

6 उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्व्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर लें।

7 प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग की स्वीकृति संचिका संख्या—06(स0) वि0रा0वि0नि0/चक्रीय निधि 27/2019 के पृष्ठ 04/टि0 पर, दिनांक 20.03.2019 को प्राप्त है।

कृ0पृ0उ0

8. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 06(स0) वि0रा0वि0नि0/चक्रीय निधि 27/2019 के पृष्ठ 06/टि0 पर दिनांक 26.03.2019 को प्राप्त हैं।

9. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक–4263 वि0 दिनांक–20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।

10. वित्त विभागीय पत्रांक–2561 दिनांक–17.06.98 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं राशि की निकासी वित्त विभागीय पंत्राक–8244 दिनांक–02.08.2010 के दिशा निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः–7355/वि0(2), दिनांकः 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–06(स0) वि0रा0वि0नि0/चक्रीय निधि 27/2018 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–06(स0) वि0रा0वि0नि0/चक्रीय निधि 27/2018 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–06(स0) वि0रा0वि0नि0/चक्रीय निधि 27/2018 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम लि0 (BSFC), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–06(स0) वि0रा0वि0नि0/चक्रीय निधि 27/2018 1565 पटना, दिनांक– 26.3.19

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक (खा0प्र0)/निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–06(स0) वि0रा0वि0नि0 / चक्रीय निधि 27 / 2018 1565 पटना, दिनांक– 26.3.19

प्रतिलिपिः योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय / प्रशाखा–2 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय / प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग / प्रशाखा–1 (सरकार) योजना शाखा एवं प्रशाखा–3, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

आई0टी0 प्रबन्धक
उ0नि0

(8)